



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 20, 2008/फाल्गुन 30, 1929

No. 382]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 20, 2008/PHALGUNA 30, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2008

का.आ. 543(अ).—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से तथा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1049(अ) तारीख 28 जून, 2007 को अधिकृत करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ 3, की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमा के भीतर स्तंभ 4 की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ 5 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लम्बाई तक उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है।

सारणी

क्र. सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लम्बाई कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कृष नगर, जिला, नादिया, पश्चिमी बंगाल	कोलकाता-रघुनाथगंज/ओमरपुर सेक्शन (14.4 कि.मी. से 244.4 कि.मी.)	34	230
2.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मालदा, पश्चिमी बंगाल	दालखोला/पूर्णियामोर सेक्शन (244.4 कि.मी. से 452.7 कि.मी.)	34	208.3
3.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल	17.600 कि.मी. से 136.000 कि.मी. 649.072 कि.मी. से 672.674 कि.मी. (जिसके अंतर्गत दूसरा विवेकानंद पुल और उनके संपर्क मार्ग भी हैं)	6 2	118.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हल्दिया, पश्चिमी बंगाल	हल्दिया पत्तन से कोलाघाट (0 कि.मी. से 52.7 कि.मी.) कोना एक्सप्रेस मार्ग का प्रारम्भ (0 कि.मी. से 7.16 कि.मी.)	41 117	52/7 7.16
5.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, खड़गपुर, पश्चिमी बंगाल	52.37 कि.मी. से 119.275 कि.मी.	60	66.905
6.	परियोजना निदेशक, कोरीडोर प्रबंध इकाई/परियोजना कार्यान्वयन इकाई, दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल	398.750 कि.मी. से 515.230 कि.मी. 517.000 कि.मी. से 646.000 कि.मी.	2 2	273 128.969
7.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल	105.00 कि.मी. से 255.00 कि.मी. 410 कि.मी. से 634.00 कि.मी.	31ग 31	150 223.30

[फा. सं. एनएच-11014/18/2007-पी एंड एम]

डी. सारंगी, प्रादेशिक अधिकारी (कोलकाता)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2008

S.O. 543(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government and in supersession of the notification of Government of India, in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1049(E) dated the 28th June, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Sub-section (ii), Section 3, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under Sections 24, 25, 26, 27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Project Director, Project Implementation Unit, Krishnagar District, Nadia, West Bengal	Kolkata-Ragunathgunj/Omarpur Section (Km. 14.4 to Km. 244.4)	34	230
2.	Project Director, Project Implementation Unit, Malda, West Bengal	Dalkhola/Purniamore Section (Km. 244.4 to Km. 452.7)	34	208.3
3.	Project Director, Project Implementation Unit, Kolkata, West Bengal	Km. 17.600 to Km. 136/000 Km. 649.072 to Km. 672.674 (including 2nd Vivekanand Bridge and approaches)	6 2	118.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Project Director, Project Implementation Unit, Haldia, West Bengal	Haldia Port to Kolaghat (Km. 0 to Km. 52.7) Beginning of Kona expressway (Km. 0.00 to Km. 7.16)	41 117	52.7 7.16
5.	Project Director, Project Implementation Unit, Kharagpur, West Bengal	Km. 52.37 to Km. 119.275	60	66.905
6.	Project Director, Corridor Management Unit/Project Implementa- tion Unit, Durgapur, West Bengal	Km. 398.750 to Km 515.230 Km. 517.000 to Km 646.000	2 2	273 128.969
7.	Project Director, Project Implementation Unit, Sitiguri, West Bengal	Km. 105.000 to Km 255.00 Km. 410.70 to Km. 634.00	31C 31	150 223.30

[F. No. NH-11014/18/2007-P&M]

D. SARANGI, Regional Officer (Kolkata)